—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 162/2023

उनवान

1. रईसा पत्नी बदरूद्दीन
2. फिरोज
3. फारूक
4. तय्यब पि. बदरूद्दीन समसत जाति देशवाली मुसलमान निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवकता श्री फारूक खत्री

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी (न्यायालय) नसीराबाद (जिला-अजमेर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 29.11.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 9190 रकबा 1.82 में से 1.80 की आराजी वादीगण के पति/पिता बदरूद्दीन पुत्र नसरूदीन को दिनांक 15.04.23 को विधिवत नियमन की गयी। आराजी मुतनाजा पर वादीगण /पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है। वर्ष 2021 व 2023 में उक्त आराजी पर धारा 91 की कार्यवाही भी की गयी। आराजी मुतनाजा वादीगण के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार नसीराबाद को आवेदन पेश किया गया किन्तु तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी वादीगण के नाम नही की। अतः आराजी मुतनजा का खातेदार वादीगण को घेषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण में निमन तनकियात कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वज को विधिवत नियमन हुयी थी ?
—— वादीगण
2. आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?
—— वादीगण
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में वादी फारूक का शपथ पत्र पेश किया तथा राजस्व अभिलेख पेश किये।

राज. पैरोकर ने साक्ष्य नही पेश करना ... किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया ... व राज. पैरोकार की बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:16:01 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पर मनन किया।

तनकी संख्या 1:–

आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 9190 रकबा 1.82 सिवायचक दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के आदेश 170 दिनांक 15.04.17 से उक्त आराजी वादीगण के पति/पिता को नियमन की गयी। किन्तु नियमन के समर्थन में वादीगध द्वारा उकत आदेश के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज पेश नही किये है। वादीगण ने उत आराजी के नियमन फार्म, चैक लिस्ट आदि पेश नही किये है। वादीगण द्वारा वर्ष 2021 व 2023 की धारा 91 के नोटिस की प्रति पेश की है। जिससे स्पष्ट होता हे कि वादीगण का उक्त आराजी पर यदा–कदा कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से ही रहा है। वादीगण अथवा उनके पूर्वजों का उकत आराजी पर कदीम से कब्जा सिद्व नही होता है। नियमन दस्तावेज के अभाव में आराजी मुतनाजा का वादीगण के पति/पिता को नियमन होना सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण के पति/पिता को विधिवत नियमन होना सिद्व नही होता है। आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। उक्त आराजी पर वादीगण का लगातार कब्जा भी सिद्व नही होत है। अतः आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर की आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 9190 रकबा 1.82 पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:16:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रईसा बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 162/20232
पेश करने की दिनांक – 22.09.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक फारूक खत्री मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर की आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 9190 रकबा 1.82 पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 11 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफ़रिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:16:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद